प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –343/2023

अनवान : –

1. प्रताप पुत्र मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम

1. मलुराम पुत्र ईशरराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
2. भागीरथ पुत्र मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
4. लालचन्द पुत्र मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
5. अमरसिंह पुत्र मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
6. कमला पुत्री मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
7. कलावती पुत्री मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
8. विमला पुत्री मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
9. अणची पुत्री मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 06.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 112/116 की कुल 3.6060 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा ईशरराम के नाम दर्ज रिकार्ड थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है एवं प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज वाद भूमि पैतृक है इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजतात हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया स0 6 ता 9 जो की वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 5 की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा प्रतिवादी स0 1 भी काफी वृद्ध हो चुका है इसलिए प्रतिवादी स0 1 व 6 ता 9 अपना जो भी हक [illegible] है वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 5 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग [illegible] मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के खाता स0 112/116 की कुल 3.6060 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 5 बहिब के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:47:20 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन करवाकर वादी उपरोक्तानुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया, गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अर्जीदावा अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 9 द्वारा इकबाल मजमें आम में प्रस्तुत होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 112/116 की कुल 3.6060 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ता 9 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 9 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खा[illegible] 112/116 की कुल 3.6060 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राज[illegible] 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 5 को [illegible] के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:47:20 IST
Reason: SelfAttested

बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 6/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–अरड़की

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:47:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –343/2023
अनवान : –

1. प्रताप पुत्र मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम

1. मलुराम पुत्र ईशरराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
2. भागीरथ पुत्र मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
4. लालचन्द पुत्र मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
5. अमरसिंह पुत्र मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
6. कमला पुत्री मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
7. कलावती पुत्री मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
8. विमला पुत्री मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
9. अणची पुत्री मलुराम जाति खाती निवासी मालिया तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 343 सन 2023 निर्णय दिनांक 06.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 112/116 की कुल 3.6060 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:47:20 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–अरड़की